न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27 / 2023 **दायर दिनांकः 25.08.2023**

उनवान

1. मृतक रामप्रकाश पुत्र नन्दलाल जाति धाकड़ निवासी आमलीखालसा तहसील अटरु जिला बारां (राज.)

1/1 देवीशंकर नागर आयु 32 वर्ष पुत्र रामप्रकाश

1/2 दुर्गाशंकर नागर आयु 29 पुत्र रामप्रकाश

1/3 अनिता आयु 34 वर्ष पुत्री रामप्रकाश

1/4 सावित्री आयु 55 वर्ष पत्नी स्व. रामप्रकाश जातियान धाकड़ निवासीगण जिला बारां (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर

अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 24.03.2025**

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू में खाता संख्या 120 के खसरा न. 1834 का रकबा 2.60 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.60 है0 आराजी में हिस्सा 1/5 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल देवली सालान तहसील अटरू में खाता संख्या 47 के खसरा न. 211/33 का रकबा 0.93 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.93 है0 आराजी दर्ज खाता चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:58 IST
Reason: SelfAttested

से रामप्रकाश के स्थान पर रामप्रसाद अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम रामप्रकाश है जो कि उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजो में भी रामप्रकाश नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज व सरपंच ग्राम पंचायत रीछन्दा पं.स. अटरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम रामप्रसाद के स्थान पर रामप्रकाश दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम रामप्रसाद कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल रीछन्दा तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम/माल रीछन्दा में खाता संख्या 120 के खसरा न. 1834 का रकबा 2.60 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.60 है. आराजी में हिस्सा 1/5 में तथा ग्राम एवं माल देवलीरावान तह. अटरू में खाता संख्या 47 के खसरा न. 211/33 का रकबा 0.93 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.93 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल के स्थान पर रामप्रकाश पुत्र नन्दलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब प्रा0 पत्र बन्द किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीगण [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल देव[illegible] संख्या 47, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल रीछन्दा सम्वत 2072–75 [illegible] रीछन्दा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड राम प्रकाश, मतदाता पहचान पत्र रामप्रकाश, पैन कार्ड रामप्रकाश, भामाशाह कार्ड, परिवार राशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:58 IST
Reason: SelfAttested

कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बैंक पास बुक, शपथ पत्र रामदयाल पुत्र नन्दलाल का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू में खाता संख्या 120 के खसरा न. 1834 का रकबा 2.60 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.60 है0 आराजी में सहखातेदार रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल के स्थान पर रामप्रकाश उर्फ रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल व ग्राम एवं माल देवलीरावान तहसील अटरू में खाता संख्या 47 के खसरा न. 211/33 का रकबा 0.93 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.93 है0 आराजी में रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल के स्थान पर रामप्रकाश उर्फ रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल रीछन्दा तहसील अटरू में खाता संख्या 120 के खसरा न. 1834 का रकबा 2.60 है0 कुल किता 1 का रकबा 2.60 है0 आराजी में सहखातेदार रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल के स्थान पर रामप्रकाश उर्फ रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल व ग्राम एवं माल देवलीरावान तहसील अटरू में खाता संख्या 47 के खसरा न. 211/33 का रकबा 0.93 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.93 है0 आराजी में रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल के स्थान पर रामप्रकाश उर्फ रामप्रसाद पुत्र नन्दलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सकतपुर को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:40:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां